न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— रामसिह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
09/2017	01.03.2017	05.02.2021

उनवान

1 धर्मपाल पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

1/1 श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर

1/2 मंजीत पुत्र स्व0 श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर

1/3 अमित पुत्र स्व0 श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर

1/4 सुमन पुत्री स्व0 श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर

—: प्रार्थीगण

बनाम

1 तहसीलदार सहाब मुण्डावर जिला अलवर बहैसियत लैण्ड हौल्डर

2 सहायक अभियन्ता सार्वजिनक विभाग (P.W.D) खण्ड जयपुर

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

....

—: निर्णय :—

दिनांक :— 05.02.2021

उपस्थिति :—

1— श्री मकरधवज शर्मा, वकील प्रार्थी

2— श्री हसंराज यादव, वकील अप्रार्थी

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। आराजी खसरा नम्बर हाल 2193 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम मुण्डावर में स्थित है जो आराजी संवत 2069—72 की जमाबन्दी [illegible]सिन प्रार्थी व अन्य लोगो की सहखातेदारी काश्त की आराजी है तथा ख[illegible] 2191 [illegible] ग्राम मुण्डावर अप्रार्थी सं0 2 महाकमा इन्जीनियरिग पी.डब्ल्यू.डी के नाम रिकोर्ड है। प्रा[illegible] प्रार्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की सहाखातेदारी का खसरा नम्बर 2193 व अप्रार्थी 2 का खसरा न[illegible]2191 की बाबत. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा निर्णय पारित किया गया था जिस निर्णय के आधार पर इंतकाल सं0 254 स्वीकृत किया गया उसमें खसरा नम्बर 2193 व 2191 का नक्श अंकित किया जाकर इंतकाल दिनांक 09.01.1977 को स्वीकृत किया गया था। इंतकाल संख्या 254 में अंकित नक्शा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

मुताबिक हाल राजस्व नक्शा में तितम्बा काटना चाहिये था लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा कायम किया गया ओर उक्त दोनो खसरा नम्बर के बीच में लाईन खैच दी गई जबकी इंतकाल सं0 254 में कायम नक्शा में दोनो के बीच में लाईन नही खैची हुई है। प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो को नक्शा मं गलत तितम्बा की जानकरी नही हो पायी थी क्योकि मौके पर सभी खातेदार वास्तविक रकाब व स्थिति के अनुसार काबिज है। लेकिन अब मिन प्रार्थी में अपने निजी उपयोग के लिए हाल नक्शा की नकल ली तब जानकारी हुई कि खसरा नमबर 2193 व 2191 के बीजच लाईन खैच रखी है दौनो खसरा नम्बरान का हाल रकबा में मुताबिक तितम्बा भी काटा गया है नक्शा में प्रार्थी को खसरा नम्बर 2193 रकबा 1.16 है0 का तितम्बा छोटा काट रखा है व खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.57 है0 का रकबा बडा काट रखा है जो रिकार्ड व मौका के अनुसार सही नही है। जिसकी दुरूरती के लिए मिन प्रार्थी तहसीलदार मुण्डावर से मिला तो तहसीलदार साहब ने रिकार्ड देखकर बताया कि नक्शा में खसरा नम्बरान के रकबा के मुताबिक तितम्बा कटवाने के लिए राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर शुद्धि करवाई जा सकती है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना अवश्यक हुआ है।

प्रार्थी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसर नम्बर 2193, 2191 वाके ग्राम के हाल राजस्व नक्शा में दोनो खसरा नम्बरो के बीच जो लाईन खैच दी गई उसे इंतकाल सं0 254 में कायम नक्शा के मुताबिक हटाया जावे और हाल राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 2193 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम का तितम्बा हाल रकबा के मुताबिक मौके पर पैमाईश करवाकर कटा जावे व इसी अनुसार खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.57 है0 का तितम्बा भी हाल नक्शा में हाल नक्शा में हाल रकबा के मुताबिक पैमाईश करवाकर कटा जाने की अज्ञा फरमाई जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, मुण्डावर से मुताबिक प्रार्थना पत्र रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार, मुण्डावर द्वारा जरिये पत्रांक 1738 दिनांक 26.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक रिपोर्ट संवत 2029 के अनुसार क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र (फर्द मिलाने रकबा) के साबिक खसरा नम्बर 1089 का रकबा 3 बिधा 11 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 2190 रकबा 2 बिधा 16 बिस्वा तथा 2191 रकबा 02 बिधा 5 बिस्वा कुल 05 बिधा 01 बिस्वा बने है। साबिक खसरा नम्बर 1090 रकबा 04 बिधा 06 बिस्वा तथा 1091 मिन रकबा 06 बिस्वा कुल रकबा 04 बिधा 12 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 2193 रकबा 04 बिधा 12 बिस्वा पैमूद हुये है। मौके पर नक्शा मुताबिक नक्शा लटठा की आकृति खसरा नम्बर 2193 की रकबा बरारी करने पर ख[illegible]193 की आकृति का रकबा कम बैठता है। जो करीब 02 बिधा कम बैठता है। हाल खसरा नम्बर [illegible]0 का रकबा 02 बिघा 16 बिस्वा तथा 2191 रकबा 02 बिघा 05 बिस्वा कुल रकबा 05 बिधा 1 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 1089 रकबा 03 बिधा 01 बिस्वा से बना है। खसरा नम्बर 2191 व 219[illegible] 02 बिधा भूमि गत नम्बर के मुकाबले अधिक है। उक्त बेसी रकबा 2193 का प्रतित होता है। यदि खसरा नम्बर 2190 व 2191 का बेशी रकबा 02 बिधा खसरा नम्बर 2193 में नक्शे में शामिल कर दिया जावे तो खसरा नम्बर 2193 की आकृति का रकबा भी जमाबन्दी अनुसार सही हो जाएगा। तथा खसरा नम्बर 2191 रकबा 05

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

बिस्वा होने से खसर नम्बर 2190 व 2191 का रकबा साबिक खसरा नम्बर 1089 के अनुसार सही हो जाएगा।

प्रतिवादी सं0 2 का जबाब रहा की – यह है कि आराजी खसरा नम्बर 2191 है, जो पी डब्ल्यूडी की आराजी है, तथा रकबा भी 0.57 है0, जो नक्शा सीट में मुताबिक रिकोर्ड सही है, अगर प्रार्थी को कोई आपत्ती है, तो मौके पर तहसीलदार मुण्डावर द्वार पैमाईश पी डब्ल्यू डी के अधिकारीयों की उपस्थिति में कि जाकर उक्त अप्रार्थी को संतुष्ट कर तथा अप्रार्थी के रकबे के अनुसार सही की जावे।

उभय पक्ष को सुना गया, जिसमें दौराने बहस प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराया। वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के गहनता से अध्ययन उपरान्त यह न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं खसरा नम्बर 2193 रकबा 1.16 है0 व खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त खातेदारो एवं पी डब्ल्यू डी के अधिकारियो की उपस्थिति में मौके की पैमाईश कर, राजस्व नक्शे में तितम्बा काटा जावे। इस हेतु तहसीलदार, मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:46 IST
Reason: SelfAttested